महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – तेतीसवां संस्करण | दिसम्बर, 2017

अनुक्रमणिका

1. माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पं.एवं ग्रा.वि.वि. द्वारा अध्ययन दल के साथ नीदरलैण्ड का भ्रमण
2. अपनी बात ....
3. सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत गरीबी–मुक्त पंचायत की कल्पना
4. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 13.10.2017 में दिये गये निर्देश
5. वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 26.10.2017 में दिये गये निर्देश
6. मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में शिक्षित पंचायतों का योगदान
7. जिला नोडल अधिकारियों की वर्कशॉप ...

हमारा संस्थान

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अध्ययन दल के साथ यूरोपीय देश नीदरलैण्ड का भ्रमण

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सौजन्य से बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ(उ.प्र.) द्वारा नीदरलैण्ड में उच्च तकनीक कृषि, वेल्यू चैन दुग्ध उत्पादन एवं उद्यमिता विकास संबंधी कार्यों पर प्रशिक्षण सह एक्पोजर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसमें मध्यप्रदेश से सदस्यीय दल माननीय श्री गोपाल भार्गव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री राधेश्याम जुलानिया, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री रमन वाधवा, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा श्री संजय कुमार सराफ, संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर ने भाग लिया।

माननीय श्री भार्गव जी के नेतृत्व में दल ने फूलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती एवं अर्बन फार्मिंग डेयरी उद्योग की नई तकनीकों तथा डेयरी क्षेत्र में रोजगार की संभावना का विस्तार से अध्ययन किया।

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का तैतीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो इस साल का मासिक संस्करण के रूप में बारहवां संस्करण है।

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अध्ययन दल के साथ नीदरलैण्ड का भ्रमण कार्यक्रम पर एक समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त ''सतत् विकास लक्ष्य अंतर्गत गरीबी–मुक्त पंचायत की कल्पना'' विषय पर आलेख प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 एवं 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। साथ ही **''मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में शिक्षित पंचायतों का योगदान''** आलेख के माध्यम रोचक प्रस्तुति प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त **''राजमिस्त्री प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग हेतु बनाये गये जिला नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन''** पर समाचार आलेख के माध्यम से एक आलेख की प्रस्तुति हैं।

हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण अत्यंत रूचिकर लगेगा तथा कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत गरीबी–मुक्त पंचायत की कल्पना

भारतीय संविधान में उल्लेखित पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उदेश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस उद्धेश्य को ध्यान में रखकर गरीबी के सभी पहलुओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक और अन्य अभाव को शामिल करते हुए गरीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए एक ठोस कार्य योजना की आवश्यकता है। गरीबी मुक्त पंचायत बनाने के लिए हमें मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता सामाजिक सुरक्षा रोजगार के अवसर, बचत एवं वित्तीय लेन–देन, कृषि उत्पादन को बढाना इत्यादि पर पंचायत स्तर पर कार्य किया जाता है तो गांव से गरीबी को मिटाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

जैसा कि हमें मालूम है कि भारतीय संविधान के 73 वे संशोधन की 11 वी अनुसूची के अनुसार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समाज कल्याण (दिव्यांग और मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों के कल्याण सहित) कमजोर वर्गो और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण पंचायतों को हस्तांतरित किए गए 29 विषयों में शामिल है अतः इसमें पंचायतों की गरीबी उन्मूलन में प्रमुख भूमिका है।

गरीबी उन्मूलन के लिए योजना बनाते हुए हमारी ग्राम पंचायत किन बातों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है।

- रोजगार की कमी, अपर्याप्त भोजन, खराब स्वास्थ्य सामाजिक और आर्थिक जोखिम से ग्रामीणों जनों को बचाकर तथा इनके प्रबंधन में उनके कौशल विकास के द्वारा गरीबी और असुरक्षा की भावना को खत्म करना।
- सभी ग्रामीणजनों विशेषकर गरीब और पिछड़ों के लिए आधारभूत सेवाओं और सुविधाओं, प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक तथा वित्तीय सेवाओं, सामाजिक देखरेख और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यदि ग्राम पंचायत गरीबों की देखरेख और उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाने का निर्णय लेती है तो निम्नलिखित संभावित कदमों का पालन करना चाहिए।

- गरीब और पिछड़े परिवारों की प्रारभिंक पहचान के लिए सूचकों का विकास करना।
- भागीदारी वाले सर्वेक्षण और गरीब, निराश्रित तथा अत्यधिक कमजोर लोगो की पहचान करना। बनाए गए सूचकों के आधार पर सर्वाधिक पात्र, जरुरतमंद लोगों का चयन करना।
- चयनित लोगों की सूची ग्राम सभा में प्रकाशित करना।

परिणाम–

1. 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और पुरुषों, खासतौर पर गरीब और कमजोर लोगों के पास आर्थिक संसाधनों के समान अधिकार हो, और आधारभूत सेवाओं, भूमि और सम्पत्ति के अन्य प्रकारों के स्वामित्व और नियंत्रण, विरासत, प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नवीन तकनीकों और वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुँच हो सके।
2. 2030 तक गरीबों और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे ग्रामीणजनों को मजबूत बनाना, और अन्य आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय आधार तथा आपदाओं का शिकार होने से उन्हे बचाना।

उपरोक्त कार्यो के आधार पर हम एक समयावधि में अपनी ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने में सफल हो सकेगें।

पंकज राय
संकाय सदस्य

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 13.10.2017 में दिये गये निर्देश

1.पंचायतराज–I (Online transacting cum accounting system):

1.1 सभी जिले ग्राम पंचायतों की भुगतान प्रक्रिया को आनलाईन किये जाने के संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण अनुसार कार्य करें। योजनान्तर्गत मोबाईल एप भी तैयार किया जा रहा है। जिसमें ग्राम पंचायत संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। दिनांक 31.10.17 तक सरपंच एवं सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपद पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाये। इस प्रशिक्षण में जिला स्तर पर NIC के अधिकारी, CEO,ZP (न हो तोAd, CEO,ZP या अन्य नामांकित अधिकारी) लीड बैंक के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

1.2 EPO generate सरपंच एवं सचिव ही करेंगे। यह कार्य अन्य को न सौंपा जाए। सरपंच एवं सचिव से आशय उन व्यक्तियों से है जिनके पास इन पदों का प्रभार हो। ग्राम पंचायत में सरपंच/सचिव के बदलाव की स्थिति में उनके मोबाईल नंबर तुरन्त बेबसाईट/पोर्टल पर अपडेट करें।

1.3 ग्राम पंचायत के लिऐ सचिव एनओटीआईएफवाय करने के लिऐ विहीत प्राधिकारी जिला कलेक्टर के स्थान पर CEO,ZP करने हेतु नियमो में संसोधन का प्रारूप प्रस्तुत किया जाऐ।

2. **पंचायतराज– II भवन विहीन पंचायत :**

2.1 निम्न परिस्थितियों में ग्राम पंचायत को भवन विहीन मानते हुए जानकारी जिला पंचायतों द्वारा गूगल शीट में दर्ज की जाए :–

2.1.1 भवन किराये पर अथवा निजी निवास का हो।

2.1.2 भवन जीर्णशीर्ण हो जिसका सुधार/जीर्णोधार संभव न हो।

2.1.3 जिस शासकीय/सामुदायिक भवन में कार्यालय लग रहा हो वह अत्यंत छोटा होकर उपयुक्त नहीं हो।

2.2 जिन स्थानों पर ग्राम पंचायत कार्यालय सामुदायिक भवन, ग्राम सभा भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, आदि अन्य शासकीय भवनों में संचालित है उन्हें ग्राम पंचायत भवन घोषित किया जाए। ऐसी ग्राम पंचायतों को भवन विहीन नही माना जाऐ। लेकिन यदि कोई भवन उपरोक्त बिन्दु 2.1.3 की परिस्थिति में हो तोऐसी ग्राम पंचायत को भवन विहीन माना जाए।

2.3 जिस भवन में ग्राम पंचायत लग रही हो उसके जीर्णोद्धार/मरम्मत या सुधार के लिए प्रति भवन रू. 2.00 लाख तक जिला पंचायत की निधी से स्वीकृती देने के लिए CEO,ZP को अधिकृत किया जाता है। जिन प्रकरणों में CEO,ZP की निधी से स्वीकृती दें उसकी जानकारी जिला पंचायत की सामान्य समिति में प्रस्तुत किया जाए।

2.4 जिन ग्राम पंचायत भवन के जीर्णोद्धार के लिए रू. 2.00 लाख से अधिक की आवश्यक्ता हो उसका प्रस्ताव CEO,ZP द्वारा संचालक पंचायत को भेजा जाए।

2.5 जो भवन सुधार/जीर्णोद्धार योग्य नहीं पाये जाएं उनके अपलेखन की कार्रवाई की जाए।

3. **<u>पंचपरमेश्वर :</u>**

3.1 अगले 8 से 10 दिनों में 14 वे वित्त आयोग की द्वितीय किश्त जारी की जायेगी। जिन ग्राम पंचायतों ने खाते में धनराशि होते हुए भी व्यय नहीं की हो उन्हें 14 वे वित्त आयोग की

द्वितीय किश्त जारी नहीं की जा सकेगी और ऐंसी राशि अन्य ग्राम पंचायतों में वितरित की जायेगी। इस हेतु रू. 10.00 लाख या अधिक जमा होने की सीमा निर्धारित की गई।

3.2 पंचपरमेश्वर योजना के तहत वेंडर का पंजीयन/ PAN /TIN आदि की आवश्यक्ता नहीं है। सरपंच को भी वेंडर बनाया जा सकता है।

3.3 मनरेगा के तहत सभी सरपंच को उनके आधार कार्ड नम्बर के आधार पर राज्य स्तर से ही वेंडर के रूप में पंजीकृत किया जाए।

4. **<u>स्वच्छ भारत मिशन :</u>**

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्ययोजना कैंसे बनाई जाए इस संबन्ध में विकास आयुक्त ने प्रस्तुतिकरण किया। सारांश निम्नानुसार है :–

4.1 पंचपरमेश्वर योजना के तहत सभी ग्रामें में नाली निर्माण का कार्य कराया जाए। नाली का निकास ग्राम के आवादी क्षेत्र के बाहर किया जाए। आवश्यक्तानुसार oxidization pound की व्यवस्था की जाए।

4.2 हैण्ड पंप की अवशेष जल की निकासी के लिए 30 मीटर दूर तक नाली बनाई जाए तांकि हैंड पंप के आस पास भू–जल को दूषित न हो।

4.3 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में ODF Campaign की भांती घर–घर में जानकारी एवं जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जाए। प्रत्येक घर में ठोस अपशिष्ट के विभक्तिकरण की आवश्यक्ता, उसके उपयोग तथा निष्पादन के संबंध में जानकारी दी जाए।

4.4 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए प्रत्येक घर–घर में नाडेप निर्माण का कार्य किया जाए। जो मनरेगा श्रमिक के रू॰ में पंजीबद्ध हो उसे मनरेगा के तहत नाडेप की स्वीकृति दी जाए।

4.5 प्रत्येक ग्राम में उपायुक्त स्थान पर सामुदायिक नाडेप हेतु चिन्हित जाएं। ग्रामों में रोडी/घूरे सडक किनारे बनाने की परम्परा को समाप्त कर उपयुक्त स्थल पर सामुदायिक नाडेप बनाये जाकर कम्पोस्ट खाद बनाई जाए।

4.6 बायोडिग्रेडेबल कचरा संग्रहण के लिए मिनी ट्रक की व्यवस्था 08 से 12 ग्रामों का समूह बनाकर सीएम स्वरोजगार योजना के तहत वित्तपोषण से की जा सकती है ऐसे वाहनो के लिए जनपद पंचायत स्तर से 03 से 05 वर्ष के लिए अनुबंध किया जा सकता है। इस हेतु वाहन का रूट चार्ट एवं समय सारिणी बनानी होगी जो प्रत्येक ग्राम के लिए निश्चित समय के लिए खडा होगा और जिसमें ग्राम वासी अपने घरों से कचरा लाकर डालेंगे।

4.7 20 से 25 ग्राम के लिए एक कचरा संग्रहण केन्द्र स्थापित कर कचरे के विभक्तिकरण ओर निष्पादन की व्यवस्था की जा सकती है।

4.8 ODF हो चुके जिलों के CEO,ZP की बैठक 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई जिसमें तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाऐंगे।

4.9 प्रत्येक घर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वर्गीकरण के लिए बास्केट वितरित करना एवं सामुदायिक बास्केट की व्यवस्था करना सफल एवं व्यावहारिक नही है। अतः इस संबंध कोई धन राशि व्यय नही की जाए।

4.10 तीन हजार से कम आबादी के ग्रामों में साइकिल चलित तीन पहिया कचरा वाहन की व्यवस्था नही की जाए। छोटे ग्रामों में कचरा संग्रहण करने वाले व्यक्ति का पारिश्रमिक नही निकल सकेगा और यह व्यवस्था सफल नही होगी।

अपर मुख्य सचिव महोदय/विकास आयुक्त द्वारा वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 26.10.2017 में दिये गये निर्देश

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

1.1 जिन छात्रों की समग्र आईडी नहीं हो उनकी समग्र आईडी अभियान चलाकर एक सप्ताह में बनवाकर स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नाम दर्ज कराएं।

2.2 स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में मध्यान्ह भोजन हेतु अनुमत्य छात्र संख्या की तुलना में छात्र उपस्थिति अधिक हो तो स्कूलों का निरीक्षण कराकर सत्यापन भेजकर राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में छात्र संख्या बढ़ाने हेतु अनुमति प्राप्त की जाए।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना :

2.1 राजमिस्त्री प्रशिक्षण का CEO. ZP एवं EE.RES स्वंय पर्यवेक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें ।

2.2 20 नवंम्बर 17 को ग्रामीण आवास दिवस मनाया जाएगा । प्रत्येक विकास खण्ड में जिस ग्राम में सर्वाधिक आवास पूर्ण हुए हों वहॉ उस ग्राम के हितग्राहियों को एकत्रित कर गृह प्रवेश कराकर आवास दिवस मनाया जाए । कार्यक्रम की फोटो 5 MP HD या अधिक के कैमरे से लेकर विकास आयुक्त को भेजें । कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रति विकास खण्ड राशि रू. 25,000/– जनपद पंचायत के खाते में अंतरित की जाए।

3. अन्य आवास योजनाएँ

मुख्यमंत्री आवास मिशन एवं अन्य आवास योजनांर्गत लक्ष्य के विरूध्द जिन जिलों की प्रगति कमजोर है वे विशेष ध्यान दें।

4. पंच परमेश्वर :

4.1 जिन ग्राम पंचायतों के खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हैं वे यथाशीध्र उन्हें बंद कराकर सेन्ट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक आदि (जिस बैंक की शाखा निकट हो) में बैंक खाते खुलवायें।

4.2 पंचायिका के जून–जुलाई के संयुक्तांक को 12 अक्टूवर की VC के पूर्व प्रदेश मुख्यालय से संकलित कर सरपंचों को वितरित करना था । 24 जिलों ने पालन नलहीं कियश उन्हें समझाईश दी गई।

4.3 पंचायत सचिवों का वेतन निर्धारण एक समय बध्द कार्यक्रम के तहत् स्थानीय संपरीक्षा निधि द्वारा किया जा रहा है । कुछ जनपदों के पंचायत सचिवों की सेवा पुस्तिका ऑडिट दल को प्रस्तुत नहीं की है । दिनॉक 30 नवंबर 2017 तक शतप्रतिशत सचिवों के वेतन निर्धारण का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

4.4 सचिव की उपस्थिति के बावतजूद भी जुलाई 2017 के पूर्व की अवधि का पंचायत सचिव का वेतन का भुगतान नहीं हुआ हो तो उक्त अवधि के वेतन आहरण के लिए संबंधित सचिव की उपस्थिति की पुष्टि कर प्रकरण संचालक, पंचायत राज की अनुमति प्राप्त की जाए जो गुणदोष पर दी जाएगी । संचालक की अनुमति उपरांत ऐसा वेतन पोर्टल से ही दिया जाएगा।

4.5 भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी 31 अक्टूबर, 2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4.6 स्पष्ट किया गया कि जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर अधोसंचरचना कार्यों में टेंकर क्रय शामिल नहीं है।

4.7 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्मित सामग्रियों (manufactured goods) का क्रय केवल Gem पोर्टल से ही किया जाए अन्यथा नहीं ।

5. मनरेगा :

5.1 जिन जिलों में वार्षिक लेबर बजट 2017–18 की तुलना में प्रगति 60 प्रतिशत से कम है, उन जिलों में कार्य योजना तैयार कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें । सभी जिले मजदूरों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाई करें।

5.2 जिन जिलों को सूखा घोषित किया गया है उनके वार्षिक लक्ष्य में 50 प्रतिशत की वृध्दि की गई।

5.3 जुलाई 2017 में कराए गए वृक्षारोपण के पौधों का सत्यापन 12 से 17 नवंबर, 2017 के मध्य अभियान चलाकर कराया जाए।

5.4 सत्यापन उपरांत मृत पौधों को बदलने निष्क्रिय पौधरक्षक बदलने तथा पौधरक्षक की जानकारी ऑनलाईन अद्यतन करने तथा की data updation कार्यवाई पूर्ण की जाए । परियोजना अधिकारी नरेगा इस कार्य के लिये उत्तरदायी होंगे।

5.5 उपरोक्त पृष्ठभूमि में वृक्षारोपण योजनाओं के तहत् सामग्री एवं मजदूरी भुगतान के लिए निर्धारित तिथि 31.10.2017 को बढ़ाकर 30.11.2017 किया जाता है । भुगतान सत्यापन के पूर्व नहीं किया जाए।

5.6 मोक्षधाम तथा खेल मैदान की गूगल शीट में जानकारी अद्यतन नहीं करने से समीक्षा नहीं की जा सकी । पुनरावृत्ति नहीं की जाए।

5.7 नरेगा सामग्री भुगतान हेतु वेंडर पंजीयन हेतु टिन/पिन की अनिवार्यता नहीं है । सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आधार कार्ड के आधार पर वेंडर के रूप में पंजीयन किया जाए।

5.8 आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए CEO,ZP जिले के लीड बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ समन्वय कर आधार आधारित भुगतान में गति लायें । सभी मजदूरों के बैंक खातों को आधार से लिंक करने की कार्यवाई नवंबर, 2017 में शत्–प्रतिशत पूर्ण की जाए।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में शिक्षित पंचायतों का योगदान

वर्तमान में मध्यप्रदेश में शिक्षित पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण विकास में स्वर्णिम योगदान दे सकते है। क्योंकि वर्तमान में पंचायतों में शिक्षित प्रतिनिधियों की भागीदारी अधिकतम हुई है, जिसमें न केवल 10 वीं पास बल्कि हर प्रकार की शैक्षणिक योग्यताओं के लोग है। हमारे ग्रामीण और सरकार इनकी शैक्षणिक योग्यताओं का लाभ उठाये तो यह ग्रामीण अंचल में विकास की नई ऊंचाईयॉ स्थापित कर सकते है क्योंकि 11 वीं अनुसूची में दिए गए सभी 29 विषयों पर, वर्तमान में इनका सहयोग लिया जा सकता है। जिसमें से कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा निम्न प्रकार से है –

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सारी कृषि गांवों में ही होती है। वर्तमान में शिक्षित पंचायत प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दे सकते है क्योंकि गांव में ज्यादातर कृषि वही व्यक्ति करता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जबकि खेती में तो अन्य व्यवसाय से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरुरी है क्योंकि खेती पर ही ग्रामीण परिवार निर्भर रहता है। गांव का मजदूर भी कृषि पर ही निर्भर रहता है और उसका परिवार भी। अगर कृषक की आय में वृध्दि होगी तो मजदूर की आय में भी वृध्दि होगी, आय में वृध्दि होने से खाद्य सुरक्षा बढेगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना क्षेत्रः

गांवों का विकास तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक गांव के लोग ही उन योजनाओं को बनाने में, उनको लागू करने और लागू करवाने में भागीदार न बने। सामाजिक एवं आर्थिक विकास का आधार गांव पर निर्भर करता है क्योंकि व्यक्ति की सभी प्रकार की सुविधाओं का एकीकरण होता है। वास्तव में तो शहरों में केवल माहौल प्राप्त होता जिसमें चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यातायात की सुविधाएं हो, बाजार हो, शहर तो केवल एक बाजार है जिसमें जो कुछ बेचना चाहता है बेच सकता है खरीदना चाहता है खरीद सकता है।

वास्तव में गांव में ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है, गांव से ही हर रोज सब्जी, फल, फूल, दूध शहरों में पहुंचता है। गांवों में चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, दालें सबका उत्पादन गांवों से ही होता है, गांवों से ही प्रत्येक चीज जुड़ी हुई है। अगर गांव की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया तो शहरों का आस्तित्व भी खतरे में पड़ जायेगा क्योंकि शहर में कभी भी मानव के जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण ज्यादातर नहीं होता है। इसीलिए शहर की रीढ़ की हड्डी गांव ही होते है, इसलिए वास्तव में गांवों के लिए सफल योजनाओं का बनना अति जरुरी है और इसके लिए शिक्षित पंचायते ही यह महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। क्योंकि गांव की समस्याओं और उनकी चुनौतियों का समाधान गांव के लोग ही बेहतर तरीके से कर सकते है। क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिन उचित संसाधानों की जरुरत पड़ती है तो उचित संसाधन जितने ज्यादा वही से प्राप्त हो तो उतना ही ज्यादा स्थिर विकास होगा। इस विकास की गति में शिक्षित पंचायते ही सबसे बेहतर योजनाएं बनाने का कार्य कर सकती है क्योंकि उनको उनके शिक्षित होने के कारण एक तरफ शहरों का अनुभव ज्यादा होता है तो वहीं गांव में बनने वाली योजना शहरों में कैसे लाभकारी हो सकती है की भी ज्यादा जानकारी होती है। शिक्षित पंचायतें ही मांग व आपूर्ति का सन्तुलन बनाकर गावों से लाभ शहरों तक और शहरों से लाभ गांवों तक पहुचाने का कार्य कर सकती है।

शिक्षित पंचायतें ही समानान्तर विकास करके बढ़ते हुए शहरी दबाब को कम कर सकती है क्योंकि जरुरत से ज्यादा शहरीकरण का दबाब न तो शहरों के हित में है और न ही गांवों के हित में, क्योंकि जितना ज्यादा शहरीकरण होगा उनके लिए उतनी ही ज्यादा सड़के, आवास, यातायात, खाद्य पदार्थो की जरुरत पड़ेगी उसके लिए फिर से आर्थिक दबाब बढेगा, जिससे अकारण ही रोज लाखों लोगों को शहर जाना पडेगा और फिर वापस आना पड़ेगा जिस कारण ज्यादा यातायात बढेगा, उर्जा का खर्च बढेगा, मानवीय समय का नुकसान होगा, पर्यावरण प्रदूषण और दुर्घटनाओं में वृद्धि आदि अनेक समस्याओं में वृद्धि हो जायेगी। इन सबके संतुलन में गांव के समग्र विकास के लिए एकीकृत योजना बना कर शिक्षित पंचायतें ही लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

पशु पालन के क्षेत्र में भी नई शिक्षित पंचायते बेहतर कार्य कर सकती है क्योंकि आज के समय में गांवों के अन्दर पशु है लेकिन उनका औसत दुग्ध

उत्पादन बहुत कम है। बहुत से पशु अच्छी नस्ल के नहीं है जिससे गांव का आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। क्योंकि पशु बोल नहीं सकते इसीलिए उनके स्वास्थ्य की जांच तुरंत नहीं हो पाती। जब पशु पूरी तरह बीमार होता है तभी जांच हो पाती है। शिक्षित पंचायते गांवों में ग्रुप बनाकर डेयरी को बढावा देकर न केवल दुग्ध में उत्पादन बढ़ा सकते है बल्कि दुग्ध के प्रोडक्ट बनाकर उपभोक्ता समूह तक भी पहुचाने में मददगार साबित हो सकते है। इसके अलावा पशुओं से मिलने वाला गोबर व मूत्र फसलों की उत्पादकता को बढाने के काम आ सकता है और जैविक खाद उद्यानिकी के लिए सप्लाई भी किया जा सकता है। जिससे ग्रामीणों की आर्थिक आय बढकर सम्पूर्ण गांव को लाभ मिल सकता है।

बागवानी क्षेत्र –

शिक्षित ग्राम पंचायते गांव के आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ी रफ्तार दे सकते है जिसमें बागवानी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एकीकृत फसलों का उत्पादन बहुत जरुरी है, क्योंकि व्यक्ति की जरुरत केवल मोटे अनाजों का उत्पादन करना नहीं होता बल्कि सभी प्रकार के फल, सब्जियां, मसाले, औषधियों, आदि की भी जरुरत होती है जिसमें एक फसल के साथ दूसरी फसल जुड़ी हुई है अगर एक व्यक्ति फूलों की खेती करता है तो साथ में मधुमक्खी पालन भी कर सकता है। मधुमक्खी पालन से शहद के साथ मोम का उत्पादन भी कर सकता है, मधुमक्खी फसलों का उत्पादन बढाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र –

स्वास्थ्य व्यक्ति का मूलभूत आधार है। हमेशा कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। आज भी हमारे गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति ज्यादातर बेहतर नहीं है। महिलाओं में खून की कमी पायी जाती है। बच्चों में भी खून की कमी पायी जाती है मातृत्व मृत्यु दर में और ज्यादा कमी लाई जा सकती है। इन सब कार्यो में सबसे बेहतर कार्य पंचायते ही कर सकती है। क्योंकि बहुत सी बीमारियों के लिए केवल जागरुकता अभियान चलाये जाने की ही जरुरत होती है। क्योंकि कुछ बीमारियॉ मौसमी होती है जिसे रोका जा सकता है। टी.बी. छूत का रोग है लाखों रुपये दवाई पर खर्च आता है। इसके लिए गांव के लोगो को ही पता होता है कि किस व्यक्ति को इलाज की जरुरत है किस–किस को जानकारी की जरुरत है। इसी प्रकार एच. आई. बी. एड्स जैसी बीमारियों का समाधान भी ग्रामीण परिवेश में जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकता है। पंचायत प्रतिनिधि न केवल सबसे निकटतम नेता होते है बल्कि सबसे अच्छी भूमिका प्राइमरी शिक्षक के तौर पर भी कर सकते है। जरुरत इस बात की है किस प्रकार पंचायतों के प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास से जोड़ा जा सके।

पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र –

वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरुरी विषय है। क्योंकि दिन प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण चुनौती बनता जा रहा है जिस प्रकार कुछ दिन पहले पूरी दिल्ली प्रदूषण से अंधेरे में परिवर्तित हो गई थी। जिसके कारण शुद्ध हवा, शुद्ध पानी का संकट पैदा हो गया है और हमारा स्वास्थ्य तंत्र भी टुट चुका है जिसके कारण आज हमें हजारों करोड़ रुपया शुद्ध पानी और हवा पर ही खर्च करना पड़ रहा है। इस कार्य में पंचायत ही सबसे कारगर साधन साबित हो सकती है क्योंकि गॉवों में खुले में शौच से लेकर, पशुओं के मलमूत्र, फसलों के अवशेष जलाने कीट नाशकों का अन्धाधुन्ध प्रयोग, भूमि जल का अन्धाधुंध दोहन, किसानों द्वारा उनके खेतों में वृक्षों की कटाई, एक ही प्रकार की खेती को पहल देना, फसलों के अवशेषों को कृषि खादों में परिवर्तित न कर पाना आदि अनेक समस्याओं का समाधान ग्रामीण परिवेश से ही सम्भव हो सकता है, जरुरत इस बात की है कि पंचायते इसमें किस प्रकार पहल करे।

शिक्षा क्षेत्र –

शिक्षा के क्षेत्र की बात करे तो आज पंचायत का हर प्रतिनिधि शिक्षित है। प्रत्येक पंचायत में व्यवसायिक शिक्षा से जुडे हुए व्यक्ति भी चुन कर आये है। वर्तमान में उनकी स्कूल में शिक्षा के स्तर को परखने की क्षमता तो है ही वे खुद भी कुछ समय अध्यापन में स्वेच्छा से प्रदान कर सकते है। कुछ बच्चों को विषय अनुरुप विशेषकर कक्षाएं भी प्रदान कर सकते है। इसके लिए गांव में शिक्षा से जुडे प्रतिनिधियों को शिक्षा में सुधार के लिए प्रशिक्षण देकर ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को ज्यादा सुधारा जा सकता है।

जैविक कृषि क्षेत्र –

शिक्षित ग्राम पंचायते जैविक कृषि में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। क्योंकि आज रसायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण हमारी भोजन श्रृंखला भी प्रदूषित हो गई है। हमारा आहार तो अशुद्ध हुआ ही है और हमारा बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ हो प्रति एकड़ आने वाला खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया और फसलों में गुणवत्ता कम हो गई जिससे शरीर में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई और बीमारियों पर होने वाला खर्च बढ़ गया।

त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

राजमिस्त्री प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग हेतु बनाये गये जिला नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों के 45 दिवसीय प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, रिर्पोटिंग एवं सर्टीफिकेशन आदि कार्यों के लिए महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के अधिकारी, संकाय सदस्यों एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स को एक–एक जिले का नोडल नियुक्त किया गया है।

समस्त जिला नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन

दिनांक 20.11.2017 को विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्यांचल भवन में सभाकक्ष में किया गया।

इस वर्कशॉप में श्री जसवीर सिंह संचालक, ग्रामीण रोजगार, श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर, श्री आर.के. खरे, मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं श्रीमती मनीषा दवे, उपायुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, भोपाल द्वारा जिला नोडल अधिकारियों को अपने अपने जिले में जाकर किस प्रकार मॉनीटरिंग, रिर्पोटिंग एवं सर्टिफिकेशन कार्य करना है विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार

श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR